CLASS – 11TH

अधिकार

अधिकार, स्वतंत्रता तथा समानता अन्तः सम्बंधित पदबंध है यदि सरल शब्दों में कहा जाय तो अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जिसे समाज व राज्य की मान्यता प्राप्त होती है।

अधिकार शब्द की समुचित परिभाषा में तीन तत्व निहित हैं-

1. **यह व्यक्ति का दावा** - प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता है इस दावे में निःस्वार्थी इच्छा होनी चाहिए कोई ऐसी वस्तु हो सर्वजनीय रूप में लागू हो निर्धारक तत्व यह है कि व्यक्ति जो चाहता है वह सामान्य हित की वस्तु हो इसका अर्थ है कि किसी दावे पर बल देते समय व्यक्ति ऐसा अनुभव करे मानो वह कोई सार्वजानिक सेवा कर रहा है।

2. **यह भी जरूरी है कि व्यक्ति के ऐसे दावे को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो**

3. वे दावे खोखले होंगे जब तक राज्य के द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं अतः राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से संरक्षित एवं लागू होंगे।

परिभाषाएँ – ऑस्टिन के अनुसार ''अधिकार व्यक्ति की वह क्षमता है, जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से कुछ विशेष प्रकार के कार्य करा लेता है" ।

बोसांके के अनुसार ''अधिकार वह मांग है ,जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्रियान्वित (लागू)करता है '' ।

ग्रीन के अनुसार - "अधिकार मानव जीवन की वे शक्तियां हैं जो नैतिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति को अपना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है ''।

हॉलेंड के अनुसार – "अधिकार किसी व्यक्ति की वह क्षमता है ,जिससे वह अपने बल पर नहीं, अपितु समाज के बल से दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है।

प्रो0 लास्की -''अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं ,जिनके आभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरुप को प्राप्त नहीं कर सकता ''।

श्री निवास शास्त्री के अनुसार - ''अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था,नियम या नीति है,जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो''।

डॉ बेनी प्रसाद के अनुसार -''अधिकार वे सामाजिक दशायें हैं,जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है ''।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर अधिकार –

1. अधिकार सामाजिक दशायें हैं ।
2. अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक तत्व है।
3. अधिकारों से ही व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति संभव है ।
4. अधिकारों को समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है ।

अधिकारों का वर्गीकरण

1. **प्राकृतिक अधिकार -** प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त थे । परन्तु ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों को आदर्श अधिकारों में माना है । उसके अनुसार, ये वे अधिकार है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक और जिनकी प्राप्ति समाज में ही संभव है ।

2. **नैतिक अधिकार** - ये वे अधिकार है जिनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण से समबन्धित होता है । इसका स्वरुप अधिकारों की अपेक्षा कर्त्तव्य पालन में अधिक निहित होता है ।

3. **कानूनी अधिकार** - कानूनी अधिकार वे है जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिसका उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय होता है । लेकॉक के अनुसार " कानून अधिकार के विशेषधिकार है, जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के वजह प्राप्त होते है तथा जो राज्य की सर्वोच्च सकती द्वारा प्रदान किये जाते है। उसी के द्वारा रक्षित होते है ।

कानूनी अधिकार दो प्रकार के होते है –

(i) सामाजिक या नागरिक अधिकार

(ii) राजनैतिक अधिकार

(i) **सामाजिक या नागरिक अधिकार** (Social or Civil right) - सामाजिक या नागरिक अधिकार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते है जो निम्नवत है –

(a) **जीवन रक्षा का अधिकार** - प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है यदि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार न हो तो वह अपना समुचित विकास नहीं कर पायेगा तथा हर पल अपने जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेगा और समाज के किसी भी कार्य में अपना योगदान नहीं कर सकेगा भारत में इस प्रकार का अधिकार अनुच्छेद 21 में है ।

(b) **<u>संपत्ति का अधिकार</u>** - सभी व्यक्तिओं को विधि के अनुसार संपत्ति रखने का डफहिकार है उसी सम्प्पति बेचने, खरीदने का पूरा अधिकार है भारत में यह केवल कानूनी अधिकर है इसे अनुच्छेद ३०० में रखा गया है ।

(c) **<u>शिक्षा का अधिकार</u>** - शिक्षा वयक्ति के लिए अनिवार्य है इसके बिना व्यक्ति अपना जीवन अच्छी तरह नहीं जी सकता । शिक्षा का अधिकार भारतीय सविधान के अनुच्छेद 21 A में शामिल है ।

(d) **<u>धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार</u>** - अपने धर्म का प्रसार प्रचार करने की स्वतंत्रता, अन्तः कारण की स्वतंत्रता इसके प्रमुख तत्त्व है ।

(e) **<u>लेखन एवं विचार अभिव्यक्ति का अधिकार</u>** - राज्य को चाहिए की वह परतयेक व्यक्ति को लेखन भाषण और विचार अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करे इस अधिकार द्वारा व्यक्ति का मानसिक विकास संम्भव है, लेकिन मनुष्य को यह अधिकार कानून की सीमा की अंतर्गत ही प्रदान किया जाना चाहिए ।

(f) **<u>सभा करने व संगठन बनाने का अधिकार</u>** - मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह एकांकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता अतः उसी सभा करने या समुदाय बनाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, लेकिन इस अधिकार का उपयोग राज्य की कानूनों की सीमा अंतर्गत होना चाहिए।

(g) **<u>आवागमन का अधिकार</u>** - इस अधिकार की अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को राज्य कि सीमा की अंतर्गत स्वतंत्रा पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की सुविधा प्राप्त होने चाहिए।

(h) **<u>पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार</u>** - प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए साथ ही परिवार की निर्वाहन में व्यक्ति एवं राज्य की द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाने चाहिए ।

(i) **<u>मनोरंजन का अधिकार</u>** - सभी नागरिकों को राज्य की द्वारा बिना किसी भेद के मनोरंजन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ।

(j) **<u>सांस्कृतिक अधिकार</u>** - सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है इस पर राज्य के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं कियी जाने चाहिए ।

(k) **<u>व्यसाय की स्वतंत्रता का अधिकार</u>** - वयक्ति को कोई भी व्यवसाय करने कि पूरी छूट होने चाहिए बिना भेदभाव के व्यक्ति अपना व्यवसाय चुने और अपना भरण पोषण करे ।

(ii) **<u>राजनैतिक अधिकार</u>** –

डॉ बेनी प्रसाद वर्मा के अनुसार " राजनैतिक अधिकारों का तात्पर्य उन व्यवस्थों से है जिन में नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है अथवा नागरिक शासन प्रबंध को प्रभावित कर सकते है " ।

इसके अंतर्गत निम्न अधिकार सम्मिलित है –

(a) **<u>मत देने का अधिकार</u>** - राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को भेदभाव रहित, प्रलोभन से मुक्त अपना मत देने का पूर्ण अधिकार है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद 326 में इसका प्रावधान है ।

(b) **<u>निर्वाचित होने का अधिकार</u>** - प्रत्येक नागरिक को अपने देश में किसी भी पद पर बिना भेदभाव के निर्वाचित होने का पूरा अधिकार है ।

(c) **<u>सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार</u>** - व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी देश में सरकारी पद प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है राज्य द्वारा हर व्यक्ति को सरकारी पद हेतु उचित अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(d) **<u>आवेदन पत्र देने का अधिकार</u>** - नागरिक को राजनितिक अधिकार के अंतर्गत आवेदन पत्र देने का पूरा अधिकार है।

(e) **<u>सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार</u>** - प्रत्येक नागरिक को सरकार की नीतियों का गुणों की आधार पर समर्थन या विरोध करना का अधिकार होना चाहिए ।

(f) **<u>विदेशों में सुरक्षा का अधिकार</u>** - प्रत्येक सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा स्वतंत्रता पूर्वक विदेशो में भी करनी चाहिए ।

<u>अधिकारों की सिद्दांत</u> - समय समय पर अधकारों कि उत्पत्ति तथा प्रकृति की विषय में विंभिन्न मत प्रस्तुत किये गए है जिनके फलस्वरूप अनेक सिद्दांतो ने जन्म लिया है ये निम्न है -

1. **<u>प्राकृतिक अधिकारों का सिद्दांत</u>** - यह अधिकार प्रकृति से व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते है यह स्थान समय तथा परिवेश के अंतर के बिना सब जगह लागू होते है आधुनिक काल में थॉमस हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना जिसका हनन शासक भी नहीं कर सकता प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार राज्य का दायित्व है यह अधिकार यह प्रमाणित करता है की सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में सामान है ।

प्राकृतिक अधिकारों का सिद्दांत इतना लोकप्रिय हुआ की इसे अमेरिका की 1776 की स्वतंत्रता तथा 1789 फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घोसणाओ में शामिल किया गया।

2. **<u>अधिकारों का वैधानिक सिद्दांत</u>** - इसकी मान्यता है की अधिकार कानून की उपज है यदि कानून नहीं तो अधिकार नहीं हॉब्स तथा जॉन औस्टिन इसके प्रबल समर्थक है ।

3. **<u>अधिकारों का ऐतिहासिक अथवा रीतिबद्ध सिद्दांत</u>** - अधिकारों की उत्पत्ति में लम्बे समय के तत्त्व पर बल देता है इस कारण अधिकार के पीछे अनिवार्य शक्ति अपने लम्बे पालन के कारण कोई परम्परा अथवा प्रथा होती है इसके समर्थकों में मैकाइवर और एडमंड वर्क है ।

4. **<u>अधिकारों का आदर्शवादी सिद्दांत</u>** - अ धिकारों का आदर्शवादी सिद्दांत मानव कि विवेकपूर्ण इच्छा के तत्त्व पर आधारित होता है । जो आग्रहों के रूप में प्रकट होती है और जब ऐसे आग्रहों की नैतिक मान्यता को वैधानिक मान्यता में प्रवर्तित कर दिया जाता है तो इससे अधिकारों कि व्यवस्था का जन्म होता है इसका सर्वोत्तम उदहारण टी. एच्. ग्रीन के राजनैतिक दर्शन में मिलती है ।

5. **<u>सामाजिक उपयोगिता अथवा सामाजिक कल्याण का सिद्दांत</u>** - इसका अर्थ यह है की अधिकार इस तथ्य की दस्टि से समाज द्वारा निर्मित किये जाते है किवे सामान्य कल्याण कि विचार पर आधारित है । अधिकार उसका निर्माण करते है जो लोगों कि अधिकतम कल्याण कि अनुकूल है, वे सामाजिक कल्याण कि अनवार्य शर्तें है । इस सिद्दांत कि सर्वश्रेष्ठ समर्थक लास्की है जिन्होंने अपनी सकारात्मक उदारवाद कि सैली में बेन्थैम के उपयोगितावाद के सूत्र की पुनर्व्याख्या की है ।

6. **<u>अधिकारों की मार्क्सवादी सिद्दांत</u>** - यह सिद्दांत जो अधिकारों की विषय को समाज में विद्यमान अर्थक व्यवस्था की साथ जोड़ता है यहाँ यह माना जाता है कि अधिकारों को सामाजिक वर्गों की रूप तथा द्वंदात्मक भौतिकवाद के नियमों के आवश्यक परिणाम स्वरुप उनमें चल रहे संघर्ष से अलग करके नहीं समझा जा सकता।

कुल मिलकर यह वर्ग संघर्ष पर आधारित सिद्दांत है इसमें दो वर्ग शामिल है एक बुजुर्वा दूसरा सर्वहारा ।

<u>नोट –</u>

1. 10 दिसंबर 1948 महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई।
2. भारतीय सविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 - 35 तक (भाग-३) विस्तृत रूप से है।
3. सबसे पहले मौलिक अधिकार ब्रिटेन की सविधान में मैगना कार्टा (1215) में शामिल थे।